

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

आईडी संख्या: UPFS/2023/89415/GBN/GAUTAM BUDDH NAGAR/22207/DD

दिनांक: 15-07-2023

प्रमाणित किया जाता है कि भेसर्स IBA (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता E 17 SECTOR 11, E 17 SECTOR 11, Noida तहसील - Noida, प्लॉट एरिया 800.00 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 905.97 (वर्ग मीटर), ब्लॉक की संख्या - 1 जिरामें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
E	3	1	12.00 mt.

है। भवन का अधिभोग भेसर्स IBA द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 21-07-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री AMIT GUPTA के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर शेफटी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Industrial के अन्तर्गत वैधता तिथि 25-07-2023 से 24-07-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए भेसर्स IBA अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए भेसर्स IBA अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : अग्निशमन अधिकारी /मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय भौतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या के अनुसार -शासनादेश संख्या:-18/छ:पु0-8-2022/905(34)/2016/टी0सी0 दिनांक:-07.01.2022 के अनुसार सैटबैक की अनिवार्यता एवं तदनुसार उपलब्धता के संबंध में निर्णय संबंधित सत्ताप्राधिकारी द्वारा बिल्डिंग बाईलाज के अनुसार लिया जायेगा। अतः यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्त शासनादेश के अनुसार सत्ता प्राधिकारी के निर्णयाधीन निर्गत किया जाता है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(उप निदेशक)



Digitally Signed By
(Aman Sharma)

[A0269865B740788D0DE1F7D7C6707A357F263D40]

25-07-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 25-07-2023

स्थान : MEERUT